उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सेवा का अधिकार भवन
चालंग हिल्स, पो॰ऑ॰—कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
वेबसाईटः—urtsc.uk.gov.in, ई—मेलः—ukrtsc@gmail.com

समक्षः— भूपाल सिंह मनराल, आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग देहरादून।

पंजीकरण सं॰:— C-1k2312050804DDN

अपीलकर्ता / शिकायतकर्ता:— श्रीमती किरण वालिया पत्नी श्री सीवेन्द्र सिंह, निवासी—लेन—सी—15, टर्नर रोड, देहरादून।

बनाम

प्रतिपक्षी:— पदाभिहित अधिकारी / नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।

आदेश

उपरोक्त पंजीकृत शिकायत के संदर्भ में आयोग के आदेश दि॰ 06.03.2024 के क्रम में पदाभिहित अधिकारी / नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून के प्रतिनिधि के तौर पर श्री धर्मेश पेन्यूली, कर अधीक्षक उपस्थित हुए। शिकायकर्ता श्रीमती किरण वालिया अनुपस्थित रही।

2. कर अधीक्षक ने सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून के पत्र संख्याः 290 / कर अनु॰ / 2023—24, दि॰ 15.03.2024 की प्रति उपलब्ध कराते हुए उत्तर दिया कि दि॰ 25.09.2023 को श्रीमती मधु प्रताप, अनीता, किरण, शशि कोहली, निखिल कोहली के नाम से नगर निगम, देहरादून कार्यालय के ऑनलाईन पोर्टल पर नामांतरण आवेदन संख्याः MU20230925131848383 आवेदित की गयी। पत्रावली विलंब से आवेदित होने के कारण कार्यालय स्तर से ₹ 400 / — के विलंब शुल्क जमा कराये जाने की सूचना आवेदक को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्रेषित की गयी। आवेदक द्वारा दि॰ 17.10.2023 को विलंब शुल्क के रूप में ₹ 400 / — जमा कराये गये। दि॰ 17.10.2023 को कार्यालय द्वारा पत्रावली में संपत्ति के पक्षकारों को नियमानुसार नोटिस प्रेषित किये गये तथा दि॰ 07.12.2023 को पत्रावली में समस्त कार्यवाही निर्धारित समयांतर्गत पूर्ण करते हुए नामांतरण आदेश जारी किये गये ।

3. उपरोक्त से स्पष्ट है कि नगर निगम द्वारा शिकातयकर्ता श्रीमती किरण वालिया के प्रकरण का निर्धारित समय—सीमा के अंदर निस्तारण कर दिया गया है। अतः आयोग द्वारा प्रकरण को निक्षेपित करते हुए पदाभिहित अधिकारी / नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को निम्न आदेश पारित किये जाते हैंः—

(1) उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं से संबंधित प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय—सीमा के अंदर निस्तारण सुनिश्चित करें।

(2) भविष्य में आयोग के पत्रों का निर्धारित समय—सीमा के अंदर उत्तर दें।

(भूपाल सिंह मनराल)
आयुक्त।

दिनाँकः 28.03.2024।